न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
176/2022	दावा 88 RTA	14.09.2022	30.09.2022

मोहनलाल सैनी पुत्र भींवाराम, जाति– सैनी, निवासी – वार्ड सं. 37, चूरू (राज.) मो. 7742997649
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू
–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. विनोद कुमार सोनी

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि वादी की सहखातेदारी/खातेदारी की एक कृषि भूमि ग्राम कड़वासर पटवार हल्का सहजूसर, भू अभि. नि. क्षेत्र– झारिया, तहसील व जिला चूरू के नाम से रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज हैं जमाबंदी (खेवट/खतोनी) सम्वत् 2070 से 2073 खाता सं. नया 143, खाता सं. पुरानाम 141, के अनुसार खसरा नम्बर 350, तादादी 13.5067 हैक्टेयर, एवं खसरा नं. 410 तादादी 2. 1878 हैक्टेयर, कुल खसरे दो तादादी 15.6942 हैक्टेयर जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा हैं, बारानी की खातेदारी रेवेन्यु रिकॉर्ड में क्रमशः इमरती देवी पत्नी शंकरलाल जाति माली, निवासी चूरू , हिस्सा 1/48, उंकारमल पुत्र महादा राम जाति माली निवासी चूरू, हिस्सा 1/32, एवं अन्य खातेदार के नाम से हैं एवं स्वम् खातेदार की कृषि भूमि ग्राम कड़वासर पटवार हल्का सहजुसर, भू अभि.नि.क्षेत्र झारिया, तहसील व जिला चूरू के नाम से रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज है जमाबंदी (खेवट/खतोनी) सम्वत 2070–2073 खाता संख्या नया 143, खाता संख्या पुराना 141, के अनुसार खसरा न. 350 तादादी 13.5064 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 410 तादादी 2.1878 हैक्टेयर, कुल खसरे 02 तथा कुल तादादी 15.6942 जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है– उपर्युक्त कृषि भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के कब्जा एवं अधिकार में हैं जिन पर वह स्वम् ही काश्त करता है।

वादी के पिता काश्तकार भींवराम जी का बमुकाम चूरू में दिनांक 05.01.2006 को स्वर्गवास हो गया– जिनकी मृत्यु उपरान्त उक्त खसरा कृषि भूमि का इंतकाल वादी के नाम दर्ज हो गया– किन्तु रेवेन्यु रिकॉर्ड अधिकारी [illegible] गलती से भिवराम की जगह भिन्वराज अंकित हो गया– जबकि वादी के पिता के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

वोटर आई डी में भींवाराम पुत्र राम चन्द्र, निवासी चूरू हैं– इस प्रकार वादी के पिता का नाम भींवराम की जगह भिन्वराज पुत्र रामचन्द्र के नाम से अंकित हो गया।

वादी मोहनलाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने से अपनी कृषि भूमि पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है । वादी को भविष्य में कोई परेशनी नहीं आये इस कारण वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम शुद्ध करवाना चाहता है– जिस हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है।

वादी ने तहसीलदार चूरू व पटवार हल्का सहजूसर से सम्पर्क किया तथा अपने पिता के नाम भींवराज के स्थान पर भींवाराम लिखने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने माननीय सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर रेवेन्यु रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त हेतु उपखण्ड अधिकारी चूरू के समक्ष वाद प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने का दिनांक 18.08.2022 को जुबानी कहा।

इस दावे का हैतुक उपरोक्त मद में लिखे कारण हैं तथा खातेदारी में वादी के पिता का नाम गलत अंकन होने से यह नाम दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत करने के वादी को वादकारण व वाद हैतुक प्राप्त है।

वादी कस्बा चूरू का स्थायी निवासी है तथा आधार कार्ड में, परिवार राशन कार्ड, आयकर विभाग– स्थायी लेखा संख्या में भी वादी के पिता का नाम भींवाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज हैं–

अतः दावा माननीय न्यायालय में निश्चित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्द मियाद पेश है तथा काबिल समाअत अदालतवाला हैं।

अतः दावा–हाजा प्रस्तुत करके प्रार्थना वादी हैं कि दावे हाजा की डिक्री निचे लिखे अनुसार फरमायी जावें।

(क) रेवेन्यु रिकॉर्ड, जमबंदी आदि में खातेदार के पिता भींवाराम जिनका नाम गलती से रेवेन्यु रिकॉर्ड में भिन्वराज अंकित हो गया को दुरूस्त कर भींवराम दर्ज किया जाने का आदेश व डिक्री जारी की जावें तथा तहसीलदार चूरू को निर्देश दिया जावें कि वे रेवेन्यु रिकॉर्ड में उपरोक्त लिखे अनुसार दुरूस्त करें।

(ख) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो वादी के हक का हो/भविष्य में हों जावें प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार चूरू सें जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। तहसीलदार चूरू सें जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। प्रविादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश न किया जाकर जांच रिपोर्ट पेश की जिस पर अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि मेरे मूल दावा के साथ पेश दस्तावेजात् को साक्ष्य वादी माना जावे तथा बहस हेतु निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी के पिता का स्वर्गवास [illegible] अधिकारियों की गलती से भींवाराम के स्थान पर भिन्वराज [illegible] सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तथा वादी को विभिन्न परेशानियों का

सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार चूरू ने अपनी रिपोर्ट में वादी के पिता का नाम भिन्वराज के स्थान पर भींवाराम किये जाने की अनुशंसा की है। अतः दावा डिक्री कर वादी के पिता का नाम भिन्वराज के स्थान पर भींवाराम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी रोही ग्राम कड़वासर खसरा नम्बर 350, 410 में वादी मोहनलाल पुत्र भींवराज हिस्सा 1/4 जाति माली निवासी चूरू खातेदार दर्ज है। गिरदावरी सम्वत् 2073 में मोहनलाल पुत्र भींवराम लिखा हुआ है। वादी के परिवार राशनकार्ड में वादी के पिता का नाम भींवाराम दर्ज है। वादी के पिता के पहचानपत्र में वादी के पिता का नाम भींवाराम पुत्र राचन्द्र दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार चूरू में वादी के पिता का नाम भिन्वराज के स्थान पर भींवाराम किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा न. 350 तादादी 13.5064 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 410 तादादी 2.1878 हैक्टेयर, कुल खसरे 02 तथा कुल तादादी 15.6942 वाके रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू में जमाबन्दी में अंकित वादी के पिता का नाम भिन्वराज के स्थान पर भींवाराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी पर किसी आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। नाम दुरूस्ती में वादी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तो वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

इजलास : श्री सत्यनारायण आर0ए0एस0

मोहनलाल सैनी पुत्र भींवाराम, जाति– सैनी, निवासी – वार्ड सं. 37, चूरू (राज.) मो. 7742997649

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.

मुकदमा नं. 176 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री विनोद कुमार सोनी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा न. 350 तादादी 13.5064 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 410 तादादी 2.1878 हैक्टेयर, कुल खसरे 02 तथा कुल तादादी 15.6942 वाके रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू में जमाबन्दी में अंकित वादी के पिता का नाम भिन्वराज के स्थान पर भींवाराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी पर किसी आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। नाम दुरूस्ती में वादी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तो वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30 माह सितम्बर सन् 2022 को जारी की गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested